

11
18-15

अभिवापक अपील/रेसपो उपस्थित
तलवी समय बाह्य अतः पत्रावली बाह्य 95/16
पत्रावली दिनांक 24-2-16 को भेजा हो।

24/2/16

अभिवापक अपील/रेसपो उपस्थित।
अतः पत्रावली बाह्य 95/16
दिनांक 25-2-16 को भेजा हो।


25/2/16

अभिवापक अपील/रेसपो उपस्थित
इस समय/तलवी समय बाह्य अतः पत्रावली बाह्य
पत्रावली दिनांक 24-2-16 को भेजा हो।

24/8/16

पत्रावली भेजा हुई | पत्रावली का अवेकलौटुना करने पर पाया कि प्रस्तुत अपील तहत न्यायालय द्वारा धारा 212 R.T. एक्ट के प्रा० पत्र में पारित अन्तरिम आर्देस निषेधाज्ञा के विरुद्ध हैं | बिचारा न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आर्देस निषेधाज्ञा के विरुद्ध अपील पोषणीय है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में हमने नवीन न्यायिक सुट्टेंट 2015 RRD 146 का अध्ययन किया | इसमें माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि परीक्षण न्यायालय आगामी तिथि तक पारित एकपक्षीय अन्तरिम आर्देस के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अपीलिय न्यायालय को नहीं है | यही सिद्धान्त 2015 RRD 170 में भी प्रतिपादित किया गया है |
अतः प्रस्तुत अपील अन्तरिम आर्देस निषेधाज्ञा के विरुद्ध है, जो कि उपरोक्त

न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

संक्षेप हकम	हकम या कार्यवाही
	<p>न्यायिक दुपट्टाओं के परिप्रेक्ष्य में पैदागीय नहीं है। अतः अपील पैदागीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली क्रम संख्या है।</p> <p style="text-align: right;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर </p>